रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 06 जनवरी, 2024 ई० (पौष 16, 1945 शक संवत्) [संख्या 01

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1–14	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1–32	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	1–6	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	1–12	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	1–12	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1–18	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग–3

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 1291/2023-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग गेल इण्डिया लिमिटेड के प्राकृतिक गैस पाइपलाईन के माध्यम से जनसामान्य को गैस आपूर्ति के लिए किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्ध में किसी सूचना से या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और, चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के असाधारण गजट दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 1285 दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रेतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्दिष्टियां	
वाल्व स्टेशन-1, ग्राम-सेमरा, तहसील-स्वार, जिला-रामपुर, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	मसवासी सुल्तानपुर पट्टी मार्ग।
पश्चिम में	गाटा संख्या-46, मि0, रामकिशोर पुत्र शंकर।
उत्तर में	गाटा संख्या-46, मि0, रामकिशोर पुत्र शंकर।
दक्षिण में	गाटा संख्या-47, चकरोड।

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 1291/2023-CX-3,** dated November 29, 2023 for general information :

NOTIFICATION

November 29, 2023

No. 1291/2023-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for Gas Supplying through Natural Gas Pipeline of Gail India Limited to the public characters.

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter sepcified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "prohibited place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Valve-Station-1, Village-Semra, Tehsil-Swar, District-Rampur, Uttar Pradesh.	
In East	Maswasi-Sultanpur Patti Road.
In West	Gata No. 46 Min. Ramkishor son of Shankar.
In North	Gata No. 46 Min. Ramkishor son of Shankar.
In South	Gata No. 47 Chak Road.

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग–3

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 1312/2023-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश से कानपुर टर्मिनल तक भूमिगत पाइपलाईन द्वारा डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के लिए किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और, चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के असाधारण गजट दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 1285 दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रेतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
वाल्व स्टेशन-10, ग्राम-सुजौर, तहसील-भोगनीपुर, जिला-कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	गाटा संख्या-734
पश्चिम में	गाटा संख्या-733 का आंशिक भाग।
उत्तर में	गाटा संख्या-710
दक्षिण में	गाटा संख्या-734

आज्ञा से,
ए0 वी0 राजामौलि,
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 1312/2023-CX-3,** dated December 21, 2023 for general information :

NOTIFICATION

December 21, 2023

No. 1312/2023-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for supplying Diesel/Petrol from Bina Refinary, Madhya Pradesh to Kanpur Terminal by under Ground Pipeline.

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter sepcified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "prohibited place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Valve-Station-10, Village-Sujaur, Tehsil-Bhognipur, District-Kanpur Dehat, Uttar Pradesh.	
In East	Gata No. 734.
In West	Partial Part of Gata No. 733
In North	Gata No. 710.
In South	Gata No. 734.

By order,
A. V. RAJAMAULI,
Secretary.

संस्कृति विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4168/चार-2023–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल की अधिसूचना सं0 1231/चार–2023 लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 की पुष्टि करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	मीरजापुर	सदर	घण्टाघर	आ0सा0 1 मि0	0.432	उत्तर–अन्य भूमियाँ एवं सड़क पूर्व–सड़क दक्षिण–सड़क पश्चिम–पार्क एवं अन्य भूमियाँ

आज्ञा से,
राकेश चन्द्र शर्मा,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4168/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 1231/ Four-2023, Lucknow Dated April 24, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4168/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U. P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Mirzapur	Sadar	Ghanta Ghar	Aa.Saa. 1 Mi	0.432	*North*-Other Land and Road *East*- Road *South*- Road *West*-Park and other Land.

By order,
RAKESH CHANDRA SHARMA,
Special Secretary.

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4169/चार-2023–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल की अधिसूचना सं0 1077/चार–2023 लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 की पुष्टि करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	रामपुर बेला, पट्टी	रामपुर बेला का शिव मंदिर	926	0.1290	उत्तर–गणेश आदि व गाटा संख्या 925 पूर्व–सदानन्द आदि व गाटा संख्या 927 पश्चिम–रामगोपाल आदि व गाटा संख्या 923 दक्षिण–सदानन्द आदि व गाटा संख्या 919
2	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	उदई शाहपुर पट्टी	अमरगढ़ का शिव मंदिर	1458	0.2280	उत्तर–गाटा संख्या 1461 दक्षिण–गाटा संख्या 1457 पूर्व–गाटा संख्या 1459 पश्चिम–अमरगढ़-राजा बाजार मार्ग

आज्ञा से,
राकेश चन्द्र शर्मा,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4169/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 1077/ Four-2023, Lucknow Dated April 24, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4169/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U. P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument/ Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Pratapgarh	Rampur Bela, Tehsil-Patti	Shiv Temple of Rampur Bela	926	0.1290	*North*-Ganesh and other Gata No. 925 *East*- Sadanand and other, Gata No. 927 *West*- Ramgopal and other, Gata No. 923 *South*-Dayanand and other, Gata No. 919
2	Uttar Pradesh	Pratapgarh	Udai Shahpur, Tehsil-Patti	Shiv Temple of Amargarh	1458	0.2280	*North*-Gata No. 1461 *South*- Gata No. 1457 *East*- Gata No. 1459 *West*-Amargarh Raja Bazar Road.

By order,
RAKESH CHANDRA SHARMA,
Special Secretary.

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4170/चार-2023–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल की अधिसूचना सं0 1077/चार–2023 लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 की पुष्टि करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	टिकरी, तहसील सोरावं	टिकरी का शिव मंदिर	632	0.3660	उत्तर–गाटा संख्या 630 एवं 631 दक्षिण–गाटा संख्या 634 व चक रोड पूर्व–गाटा संख्या 662 पश्चिम–अन्य क्षेत्र
2	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	उजिहनी आइमा, सदर	पक्का तालाब	334 खतौनी क्रम संख्या 00205	1.152	पूर्व–गाटा संख्या 335 पश्चिम–गाटा संख्या 326 उत्तर–गाटा संख्या 328, 337 एवं चक मार्ग दक्षिण–सीमा जुनेदपुर

आज्ञा से,
राकेश चन्द्र शर्मा,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4170/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 1230/ Four-2023, Lucknow Dated October 24, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4170/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U. P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Prayagraj	Tikri, Tehsil-Soraon	Shiv Temple of Tikri	632	0.3660	*North*-Gata No. 630 and 631 *South*-Gata No. 634 and Chak Road *East*-Gata No. 662 *West*-Other Land.
2	Uttar Pradesh	Prayagraj	Ujihani Aayima Sadar	Pakka Talab	334 Khatauni Serial No. 00205	1.152	*East*-Gata No. 335 *West*-Gata No. 326 *North*-Gata No. 328, 337 and Chak Marg *South*-Border Junedpur

By order,
RAKESH CHANDRA SHARMA,
Special Secretary.

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4171/चार-2023–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल की अधिसूचना सं0 1077/चार–2023 लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 की पुष्टि करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	चन्द्रवार, तहसील-फिरोजाबाद	चन्द्रवाड़ का किला	1653	0.219 में से 0.115 भूमि पर किला स्थित है।	उत्तर–वन विभाग एवं गाटा संख्या 1653 पूर्व–वन विभाग एवं मार्ग दक्षिण–वन विभाग पश्चिम–वन विभाग

आज्ञा से,
राकेश चन्द्र शर्मा,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4171/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 2057/ Four-2023, Lucknow Dated April 24, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4171/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U. P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument/ Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh	Firozabad	Chandravar, Tehsil-Firozabad	Chandrawadka Kila	1653	*Hectare* The fort is situated on 0.115 of Land out of 0.219	*North*-Forest land and Revenue Plot No 1653 *East*-Forest land and Road *West*-Forest land *South*-Forest land

By order,
RAKESH CHANDRA SHARMA,
Special Secretary.

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4172/चार-2023–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल की अधिसूचना सं0 1077/चार–2023 लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 की पुष्टि करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	ग्राम लखनाखेड़ा तहसील बिन्दकी	खुजहा बाजार स्थित शिव मन्दिर एवं तालाब	282 एवं 284	हेक्टेयर 0.073 0.7930	उत्तर–गाटा संख्या 280, 281 एवं 286 पूर्व–गाटा संख्या 285 एवं 286 दक्षिण–बकेवर से बिन्दकी मार्ग पश्चिम–गाटा संख्या 281, 282 एवं 283
					योग . .	**0.8660**	

1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
2	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	रेवाड़ी बुर्जुग	रेवाड़ी बुर्जुग का शिव मंदिर	722क	274.60 वर्ग मीटर मन्दिर का क्षेत्रफल	उत्तर एवं पश्चिम–ज्ञान पुत्र मुक्ता विश्वकर्मा का मकान दक्षिण–शीलू त्रिवेदी का मकान पूर्व–रास्ता
3	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	ग्राम-अमौरा तहसील-बिन्दकी	अमौरा का शिव मंदिर	292 मि0	237.16 वर्ग मीटर	उत्तर–रास्ता पूर्व–ननकई शुक्ला का मकान दक्षिण–श्याम लाल आदि, रिक्त भूमि पश्चिम–नलकूप
4	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	लखनाखेड़ा	तुलाराम तालाब एवं शिव मंदिर	501 एवं 502	0.202	उत्तर– गाटा संख्या 496 एवं 500 पूर्व– गाटा संख्या 499 एवं 502 दक्षिण– गाटा संख्या 495 पश्चिम– गाटा संख्या 495 एवं 496
						0.462	उत्तर– गाटा संख्या 499 पूर्व–रास्ता दक्षिण–रास्ता एवं गाटा संख्या 521 पश्चिम– गाटा संख्या 495 एवं 501
					योग . .	**0.664**	

आज्ञा से,
राकेश चन्द्र शर्मा,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4172/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 1232/ Four-2023, Lucknow Dated April 24, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4172/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U. P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument/ Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Fatehpur	Village-Lakhnakheda Tehsil-Bindki	Shiv Temple and Pond Located in Khujha Bazar	282 and 284	0.073 0.7930 **0.866**	*North*-Gata No. 280, 281 and 286 *East*-Gata No. 285 and 286 *South*-Bakewar to Bindki Marg *West*- Gata No. 281, 282 and 283
2	Uttar Pradesh	Fatehpur	Revadi Bujurg	Shiv Temple of Revadi Bujurg	722 Ka	274.60 Square Meter (Area of the Temple)	*North and West*-House of Gyan S/o Mukta Vishwakarma. *South*-House of Sheelu Trivedi East-Road
3	Uttar Pradesh	Fatehpur	Vill-Amaura Tehsil-Bindki	Shiv Temple of Amaura	292 Mi	237.16 Square Meter	*North*-Road *East*-House of Nankai Shukla *South* -Syam Lal etc. Empty Land *West*-Tube-well
4	Uttar Pradesh	Fatehpur	Lakhnakheda	Tularam Talab and Shiv Temple	501 and 502	0.202 0.462 **0.664**	*North*- Gata No. 496 and 500 *East*- Gata No. 499 and 502 *South* - Gata No. 495 *West*- Gata No. 495 and 496 *North*- Gata No. 499 *East*- Road *South* – Road and Gata No. 521 *West*- Gata No. 495 and 501

By order,
RAKESH CHANDRA SHARMA,
Special Secretary.

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 1–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जनवरी, 2024 ई० (पौष 16, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

October 11, 2023

No. 2101/Admin.(Services)/2023–Sri Ariz, Court Manager, District Court, Chitrakoot to be Court Manager, District Court, Bhadohi at Gyanpur.

October 17, 2023

No. 2102/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Saket Bihari 'Deepak', District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 2103/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Km. Manjula Sircar, Additional Principal Judge, Family Court, Fatehpur till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 2104/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Vishnu Kumar Sharma, District & Sessions Judge, Hamirpur till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 2105/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Brijesh Kumar Mishra, District & Sessions Judge, Kaushambi till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 2106/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Chandra Mani Mishra, Additional Principal Judge, Family Court, Raebareli till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 2107/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Mahendra Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Hathras till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

October 31, 2023

No. 2108/Admin.(Services)/2023–Smt. Poonam-II, Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Unnao *vice* Sri Anil Kumar Seth.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Unnao against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2109/Admin.(Services)/2023–Sri Anil Kumar Seth, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 2110/Admin.(Services)/2023–Smt. Mamta Singh, Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Unnao for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Alpana Shukla.

No. 2111/Admin.(Services)/2023–Pursuant to Government O.M. No. 160/Do-4-2023 dated 25.10.2023, Smt. Alpana Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Unnao is appointed/posted as Law Officer, U.P. Human Rights Commission, Lucknow, on deputation basis.

November 8, 2023

No. 2112/Admin.(Services)/2023–Sri Pramod Kumar Srivastava-II, Principal Secretary, Nyay & Legal Remembrancer, Government of Uttar Pradesh, Lucknow to be District & Sessions Judge, Gonda.

No. 2113/Admin.(Services)/2023–Sri Durg Narain Singh, Principal Judge, Family Court, Barabanki to be District & Sessions Judge, Mainpuri.

No. 2114/Admin.(Services)/2023–Sri Vinod Singh Rawat, Director, Judicial Training and Research Institute, Lucknow to be Principal Secretary, Nyay & Legal Remembrancer, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

No. 2115/Admin.(Services)/2023–Sri Rajat Singh Jain, District & Sessions Judge, Meerut to be Director, Judicial Training & Research Institute, U.P., Lucknow.

No. 2116/Admin.(Services)/2023–Sri Sudhir Kumar-V, District & Sessions Judge, Mainpuri to be District & Sessions Judge, Meerut.

No. 2117/Admin.(Services)/2023–Sri Malkhan Singh, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Muzaffar Nagar to be District & Sessions Judge, Hapur.

No. 2118/Admin.(Services)/2023–Sri Ravindra Kumar-I, District & Sessions Judge, Hapur to be District & Sessions Judge, Etah.

No. 2119/Admin.(Services)/2023–Sri Anupam Kumar, District & Sessions Judge, Etah to be District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 2120/Admin.(Services)/2023–Sri Satendra Kumar, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Gorakhpur to be District & Sessions Judge, Hathras.

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

October 30, 2023

No. 73–Smt. Alka Singh (Emp. No. 4015), Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby notionally promoted as Assistant Registrar *w.e.f.* 07.05.2021 (A.N.), the date her junior Sri Manoj Kumar (Emp. No. 4034) has been promoted as Assistant Registrar, vide Notification No. 15 dated 07.05.2021 (issued in afternoon) read with Notification No. 30 dated 22.05.2021. Her name is placed above the name of Sri Manoj Kumar (Emp. No. 4034) in the gradation list of Assistant Registrar. Her actual promotion on the post of Assistant Registrar will be made from the date she takes over charge as Assistant Registrar.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before the Hon'ble Court).

November 01, 2023

No. 74–From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II of High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	3515	Sri Kavleshwar Prasad Yadav	In the vacancy occurred on account of retirement of Sri Ram Naresh Banswar (Emp. No. 1507) from the post of Deputy Registar-cum-Private Secretary Grade-III on 31.10.2023.

No. 75–From the date of taking over charge, the following Private Secretary Grade-I of High Court Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	3635	Sri Praveen Kumar	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Kavleshwar Prasad Yadav.

(The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts and repatriation of Officers who are presently deputed in Hon'ble the Supreme Court of India, to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any).

No. 76–From the date of taking over charge, the following Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Bench Secretary, in the pay scale of Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3330	Sri Kamlakar Dwivedi

No. 77–From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad are hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	4052	Lai Chand
2	6009	Jitendra Kumar

No. 78–From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench are hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	2978	Mrs. Nanda Priya, *Lko.*
2	7118	Raj Kumar Singh

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Mrs. Nanda Priya (Emp No. 2978), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad upon her promotion as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III. Further, Sri Mohd. Abrar (Emp no. 7462), A.R.-cum-B.S. Gr-II, presently posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court, Allahabad, shall draw salary from High Court, Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.)

November 16, 2023

No. 79–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	4027	Pankaj Srivastava, *Lko.*
2		*Post reseved*
3	7119	Ashok Kumar Bhaskar
4	7019	Piyush Kumar Srivastava, *Lko.*
5	7120	Rajeev Mohan Verma
6	7124	Indra Shekhar Prasad
7	7128	Susheel Kumar
8	7111	Damar Singh, *Lko.*
9	2966	Sultan Singh, *Lko.*
10	7107	Shashi Kant Singh Gaur
11	7094	Onkar Nath Yadav
12	4610	Smt. Manju Rani
13	5013	Ramashray Tiwari
14	7139	Km. Neelam Singh
15	7143	Dhirul Tiwari
16	7149	Rakesh Singh
17	7150	Manoj Kumar Bhatt
18	5067	Faizan Mohammad
19	2878	Shiv Kushal Singh, *Lko.*
20	5109	Suraj Deen
21	5518	Shakeel Ahmad
22	5626	Pushpraj Misra
23	5679	Satya Narain, *Lko.*
24	5695	Ram Milan-II
25	2873	Ram Prakash, *Lko.*
26	5696	Ashok Kumar-II
27	5539	Manoj Kumar Pandey

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Km. Sheelu Srivastava (Emp. No. 7010), Sri Sanjaiv Kumar Yadav (Emp. No. 2969), Sri Sujit Chandra (Emp. No. 2968) and Sri Rajendra Prasad (Emp. No. 7131), all Assistant Registrars posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Pankaj Srivastava (Emp. No. 4027), Sri Piyush Kumar Srivastava (Emp. No. 7019), Sri Damar Singh (Emp. No. 7111), Sri Sultan Singh (Emp. No. 2966), Sri Shiv Kushal Singh (Emp. No. 2878), Sri Satya Narain (Emp. No. 5679) and Sri Ram Prakash (Emp. No. 2873), all posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad upon promotion as Assistant Registrar).

November 22, 2023

No. 80–The following Bench Secretaries Grade-I of High Court of Judicature at Allahabad and Lucknow Bench of this Hon'ble Court are hereby confirmed on the post of Bench Secretary Grade-I with effect from the date mentioned against their names:

Bench Secretary Grade-I

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of confirmation
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
1	7706	Swapnesh Singh	18.08.2023
2	7909	Rambahadur Srivastava	18.08.2023
3	7978	Shreyansh Purwar	22.08.2023
4	8008	Harshvardhan Arya	18.08.2023
5	7937	Km. Nisha Patel	18.08.2023
6	7751	Jitendra Kumar	20.08.2023
7	7931	Sushmita Saxena	18.08.2023
8	7776	Rachit Kumar	18.08.2023
9	7502	Manish Dixit	20.08.2023
10	7970	Mohammad Shabbir, *Lko.*	20.08.2023
11	7560	Atul Kumar	20.08.2023
12	7696	Prashant Sharma	20.08.2023
13	7830	Ashish Kumar Mehta	18.08.2023
14	7840	Udai Veer Singh	18.08.2023
15	7960	Upendra Pratap Singh	20.08.2023
16	7745	Ashutosh Kumar Maurya	20.08.2023
17	7686	Vaseem Raza	20.08.2023
18	7743	Anand Sah	20.08.2023
19	7948	Makkhan Lal	18.08.2023
20	7964	Rishi Dwivedi	20.08.2023

1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
21	7754	Randhir Singh	20.08.2023
22	7710	Shalabh Shukla	20.08.2023
23	7918	Nitin Kumar Sen	24.08.2023
24	7996	Prashant Shukla	20.08.2023
25	7912	Jitendra Balkrishna Kanhere	20.08.2023
26	7793	Shiv Shankar	23.08.2023
27	7619	Nripendra Chaudhari	22.08.2023
28	7824	Arun Kumar	20.08.2023
29	7985	Rishikesh Gaur	22.08.2023
30	7784	Ashish	20.08.2023
31	7911	Piyush Tiwari	20.08.2023
32	7854	Ramesh Kumar Yadav	20.08.2023
33	7886	Hifzur Rahman	20.08.2023
34	7980	Vinod Yadav	20.08.2023
35	7486	Kedar Nath Gupta	18.08.2023
36	7779	Upendra Verma	22.08.2023
37	7681	Anurag Srivastava	18.08.2023
38	7531	Prashish Khare	18.08.2023
39	7803	Ratnesh Kumar Maurya	18.08.2023
40	7834	Abhishek Kumar Ranjan	20.08.2023
41	7869	Pravin Kumar Yadav	18.08.2023
42	7879	Dhani Ram Verma	20.08.2023
43	7748	Dinesh Kumar	24.08.2023
44	7828	Rajiv Bharti	18.08.2023
45	7888	Sudheer Kumar Singh Rana	18.08.2023
46	7926	Brijendra Singh	24.08.2023
47	7695	Faraz Parvez	20.08.2023
48	7974	Prince Kumar Saini	23.08.2023
49	7986	Shashwat Pandey, *Lko.*	20.08.2023
50	7810	Vikas Kumar Yadav	20.08.2023

1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
51	7643	Milind Raj	18.08.2023
52	7716	Ujjwal Kumar Das	24.08.2023
53	7852	Anand Kumar Yadava	18.08.2023
54	2206	Sunil Kumar	18.08.2023

(The Confirmation, noted above, shall be subject to the result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court.).

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

No. 81–From the date of taking over charge, Sri Awadhesh Kumar Patel, (Emp. No. 7162), Deputy Librarian, High Court Allahabad is hereby promoted to the post of Chief Documentation Officer-cum-Chief Librarian, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred on account of retirement of Sri Amitabh Saran, Chief Documentation Officer-cum-Chief Librarian, High Court, Allahabad.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

November 29*,* 2023

No. 82–In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendments in The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976' :

THE ALLAHABAD HIGH COURT OFFICERS AND STAFF (CONDITIONS OF SERVICE AND CONDUCT) (AMENDMENT) RULES, 2023

1-Short title and commencement.-(1) These Rules may be called "The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) (Amendment) Rules, 2023".

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2-Definition.- In these Rules, unless the context otherwise requires, 'Rules' mean "The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976".

3-Amendment of clause (c) of Rule 24.- Clause (c) of Rule 24 of the Rules shall be amended as follows:

EXISTING PROVISION	AMENDMENT
(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African Countries of Tanzania (formerly Tanganayika and Zanzibar) with the intention of permanently Settling in India;	(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka and East African country of Tanzania (formerly Tanganayika and Zanzibar) with the intention of permanently Settling in India;

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8679(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023-24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब़, ग्राम–कोल्हुआ बुजुर्ग, तप्पा–कुदारन में स्थित क्षे0–3.7607274 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–8182/आठ–वि0भू0अ0अ0/ सि0नगर/अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–कोल्हुआ बुजुर्ग, तप्पा–कुदारन की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कोल्हुआ बुजुर्ग तप्पा कुदारन	383	0.0730
2					384	0.0519847
3					385	0.0165222
4					379	0.0011928
5					378	0.0060
6					377	0.0450
7					380	0.0201507
8					376	0.0340
9					375	0.0340
10					370	0.1013858
11					368	0.0600334

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
12	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कोल्हुआ बुजुर्ग तप्पा कुदारन	367	0.0360
13					366	0.0291589
14					364	0.0287781
15					363	0.0400
16					362	0.0343186
17					360	0.0007999
18					61	0.082409
19					60	0.081585
20					67	0.0006785
21					66	0.002914
22					65	0.0038465
23					64	0.0058705
24					63	0.010472
25					59	0.073802
26					58	0.081601
27					57	0.0613579
28					56	0.1181976
29					55	0.1215261
30					54	0.0259741
33					88	0.0013504
34					90	0.2432716
35					91	0.0930008
36					92	0.0569909
37					94	0.1920
38					95	0.1811396
40					97	0.0025241
41					98	0.0397777
42					107	0.1864695
43					108	0.1064624
44					109	0.2331346
45					110	0.0390
46					111	0.1010
47					112	0.0826902
48					113	0.0034181
49					114	0.0369028
50					115	0.0127132

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
51	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कोल्हुआ बुजुर्ग तप्पा कुदारन	116	0.0106707
52					117	0.0115809
53					118	0.0108664
54					123	0.146052
55					125	0.5297988
56					127	0.0090219
					योग . .	**3.612396**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कोल्हुआ बुजुर्ग तप्पा कुदारन	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8680(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023–24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब़, ग्राम–मिरगा, तप्पा–कुदारन में स्थित क्षे0–0.904757 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–8177/आठ–वि0भू0अ0अ0/ सि0नगर/ अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–मिरगा, तप्पा–कुदारन की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू–खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	मिरगा तप्पा कुदारन	1	0.174316
2					5	0.13213
3					6	0.008421
4					54	0.194013
5					55	0.139951
6					56	0.021071
7					57	0.065654
8					58	0.169201
					योग . .	**0.904757**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	मिरगा तप्पा कुदारन	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8681(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023–24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब़, ग्राम–घघुवा, तप्पा–कुदारन में स्थित क्षे0–1.9557568 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–8181/आठ–वि0भू0अ0अ0/ सि0नगर/ अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–घघुवा, तप्पा–कुदारन की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	घघुवा तप्पा कुदारन	39	0.0940949
2					40	0.0538033
3					37	0.0543867
4					42	0.3383296
5					43	0.0174697
6					60	0.0489914
7					61	0.1146751
8					63	0.0217033
9					62	0.082
10					166	0.1746036
11					165	0.0798335
12					228	0.3928363
13					210	0.0150082
14					163	0.0002263
15					209	0.0040
16					208	0.0177172
17					202	0.0030
18					207	0.0080
19					206	0.0510
20					204	0.0032004
21					191	0.0016276
22					231	0.2343934
23					232	0.1226349
					योग . .	**1.933535**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	घघुवा तप्पा कुदारन	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8682(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023–24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब, ग्राम–छितौना, तप्पा–असनार में स्थित क्षे0–5.015899 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–8176/आठ–वि0भू0अ0अ0/ सि0नगर/ अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–छितौना, तप्पा–असनार की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची -क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	छितौना तप्पा असनार	215	0.160072
2					213	0.014249
3					217	0.10764

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
4	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	छितौना तप्पा असनार	218	0.0330
5					219	0.198752
6					221	0.467447
7					222	0.481693
8					224	0.173274
9					225	0.189097
11					227	0.1450
12					241	0.136673
13					239	0.1320
14					240	0.1890
15					242	0.298081
16					236	0.085003
17					245	0.102024
18					244	0.3740
19					404	0.030732
20					406	0.413122
21					399	0.015674
22					395	0.047966
23					420	0.071195
24					421	0.022648
25					426	0.241971
26					388	0.05425
27					387	0.012831
28					386	0.004298
30					389	0.381503
31					390	0.120756
32					391	0.062208
33					392	0.000229
34					369	0.0391
35					433	0.0400
					योग . .	**4.845488**

अनुसूची- ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	छितौना तप्पा असनार	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8683(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023–24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब, ग्राम–डबरा, तप्पा–कुदारन में स्थित क्षे0–2.328294 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 8184/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–डबरा, तप्पा–कुदारन की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची -क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	डबरा तप्पा कुदारन	64	0.2077129
2					65	0.0533183
3					66	0.0394181

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
4	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	डबरा तप्पा कुदारन	68	0.0216908
5					144	0.368861
6					145	0.0881041
7					147	0.0110
8					149	0.0006548
9					174	0.0030
10					175	0.0040
11					176	0.0039864
12					177	0.0011641
13					180	0.1107223
14					181	0.1592595
15					182	0.0565371
16					191	0.0327235
17					192	0.0026187
18					200	0.2596716
19					199	0.0649152
20					202	0.0690147
21					203	0.0158542
22					207	0.0362326
23					208	0.0229282
24					209	0.0002089
25					213	0.473058
26					220	0.0169918
27					221	0.0333674
28					222	0.0353816
29					223	0.0570
30					224	0.0009254
31					225	0.0658681
					योग . .	**2.3161893**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	डबरा तप्पा कुदारन	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8684(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023–24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब, ग्राम–गौरी, तप्पा–असनार में स्थित क्षे0–7.3852667 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–8180/आठ–वि0भू0अ0अ0/ सि0नगर/ अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–गौरी, तप्पा–असनार की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची -क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गौरी तप्पा असनार	351	0.0250
2					353	0.0171636
3					350	0.0096582

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
4	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गौरी तप्पा असनार	349	0.0134931
5					348	0.0880001
6					347	0.0446727
7					346	0.0455642
8					345	0.0601513
9					338	0.4479938
10					341	0.0984875
11					340	0.0631932
12					324	0.005967
13					325	0.0990
14					326	0.0916462
15					327	0.0200
16					328	0.0200
17					329	0.0200
18					330	0.0200
19					331	0.103707
20					332	0.1181206
21					333	0.0124928
22					320	0.1214296
23					321	0.1330
24					322	0.1440
25					323	0.1061061
26					297	0.0239563
27					298	0.0469307
28					299	0.0263448
29					300	0.021052
30					301	0.026005
31					302	0.0497116
32					303	0.1350
33					304	0.1330

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
34	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गौरी तप्पा असनार	305	0.0396256
35					307	0.0192621
36					308	0.0426083
37					309	0.0700
38					286	0.0973112
39					287	0.0319799
40					288	0.0338848
41					289	0.0340
42					290	0.0850
43					270	0.0025912
44					271	0.0023967
45					272	0.0025804
46					273	0.0027328
47					274	0.0067469
48					275	0.1590872
49					276	0.5202203
50					265	0.116882
51					266	0.2577602
52					267	0.0154752
53					268	0.2176598
54					251	0.4636609
55					253	0.5148171
56					254	0.7462131
57					255	0.3504574
58					256	0.3385964
59					257	0.4677728
					योग . .	**7.03017**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गौरी तप्पा असनार	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8685(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023–24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब, ग्राम–कुसुम्ही, तप्पा–कुदारन में स्थित क्षे0–2.0080454 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–8179/आठ–वि0भू0अ0अ0/ सि0नगर/ अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–कुसुम्ही, तप्पा–कुदारन की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची -क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कुसुम्ही तप्पा कुदारन	209	0.0165971
2					210	0.2807846
3					205	0.1085996

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
4	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कुसुम्ही तप्पा कुदारन	201	0.0848314
5					204	0.2256356
6					202	0.183069
7					135	0.0028981
8					136	0.0568024
9					171	0.1053302
10					174	0.0118755
11					173	0.0409267
12					168	0.3214173
13					167	0.2021063
14					166	0.1453945
15					164	0.1226796
16					160	0.0523496
17					158	0.0467479
					योग . .	**2.0080454**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कुसुम्ही तप्पा कुदारन	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8686(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023–24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब़, ग्राम–समोगरा, तप्पा–कुदारन में

स्थित क्षे0–2.4074187 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–8178/आठ–वि0भू0अ0अ0/ सि0नगर/अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–समोगरा, तप्पा–कुदारन की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची -क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	समोगरा तप्पा कुदारन	405	0.0163786
2					406	0.0016096
3					403	0.2911073
4					401	0.0457346
5					399	0.1071607
6					398	0.0624528
7					397	0.0015785
8					307	0.0001567
9					300	0.0304514
10					298	0.2566772
11					297	0.1140282
12					296	0.0889059
13					290	0.0488563
14					289	0.0661641
15					284	0.0445669
16					283	0.0925676
17					282	0.0045984

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
18	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	समोगरा तप्पा कुदारन	225	0.0303782
19					224	0.0016525
20					216	0.2178906
21					214	0.0609399
22					230	0.2128197
23					231	0.0086053
24					232	0.1166136
25					233	0.0326186
26					235	0.0910488
27					67	0.0682501
28					70	0.183567
29					71	0.0120
30					72	0.0196947
					योग . .	**2.329074**

अनुसूची -ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	समोगरा तप्पा कुदारन	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 8687(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0 सू0/2023–24–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बासी पूरब, ग्राम–नेउसा, तप्पा–कुदारन में स्थित क्षे0–3.4192519 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना

संख्या–8183/आठ–वि0भू0अ0अ0/ सि0नगर/अधि0सू0/2023–25/दिनांक 25 अगस्त, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ0 प्र0 में दिनांक 18 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक–02 दिसम्बर, 2023 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोशणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–बॉसी, परगना–बॉसी पूरब, ग्राम–नेउसा, तप्पा–कुदारन की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची -क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	नेउसा तप्पा कुदारन	2	0.2900074
2					3	0.0788256
3					4	0.0463969
4					201	0.0512026
5					196	0.1102341
6					195	0.3923228
7					194	0.1197828
8					193	0.0630
9					191	0.0172953
10					189	0.1222453
11					177	0.4659651
12					186	0.0043708
13					187	0.0030
14					188	0.11362
15					178	0.1710
16					176	0.0592229
17					175	0.0014927
18					174	0.3307486

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
19	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	नेउसा तप्पा कुदारन	170	0.0024055
20					84	0.1335743
21					83	0.0040
22					82	0.0012711
23					81	0.0199537
24					172	0.0110
25					87	0.0425699
26					272	0.1185751
27					271	0.0280
28					270	0.0344433
29					269	0.0172739
30					268	0.0030999
31					282	0.1331262
32					276	0.0020221
33					277	0.014978
34					281	0.0770
35					280	0.0382831
36					292	0.0004454
37					284	0.018666
38					315	0.0586993
					योग . .	**3.20012**

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	नेउसा तप्पा कुदारन	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

27 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0-4848/जी0-232/63-08– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मवाना परगना हस्तिनापुर जनपद मेरठ के ग्राम गडीना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-4849/जी0-178/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम रमवापुर दूबे में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-4850/जी0-163/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0 ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई जनपद हरदोई के ग्राम मदरावां में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4851/जी0-163/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0 ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई जनपद हरदोई के ग्राम खलीफापुर मती में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4852/जी0-163/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई जनपद हरदोई के ग्राम भिठारी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4853/जी0-163/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई जनपद हरदोई के ग्राम सर्रा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4854/जी0-163/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई जनपद हरदोई के ग्राम अखनापुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4855/जी0-163/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का

प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई जनपद हरदोई के ग्राम सहिजना में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4856/जी0-163/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों को प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई जनपद हरदोई के ग्राम अलीनगर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0-4919/जी0-266/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चौरी चौरा परगना हवेली जनपद गोरखपुर के ग्राम ब्रहमपुर, तप्पा-रसूलपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-4922/जी0-660ए/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील महावन जनपद मथुरा के ग्राम दघेंटा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-6290/जी0-660/56-86 दिनांक 31 मार्च, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4923/जी0-181/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील गोला परगना चिल्लूपार जनपद गोरखपुर के ग्राम नेतवारपट्टी मुस्तकिल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-4924/जी0-168/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना अठेहा जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम रामपुर कसिहा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

02 नवम्बर, 2023 ई0

सं0-4981/जी0-266A/2021-22/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सहजनवां परगना हसनपुर मगहर जनपद गोरखपुर के ग्राम गोविन्दपुर, तप्पा-उत्तर हवेली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

07 नवम्बर, 2023 ई0

सं0-5115 / जी0-226 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधुना जनपद औरैया के ग्राम कुदरकोट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5116 / जी0-15 / 2022-23 / धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना परगना जगदीशपुर जनपद अमेठी के ग्राम व्यौरेमऊ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5117 / जी0-175 / 2023-24 / धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313 / आई0ए0-813 / 1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम रमनगरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691 / जी0-610 / 2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5118 / जी0-175 / 2023-24 / धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313 / आई0ए0-813 / 1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम गुरचाही में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691 / जी0-610 / 2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5119 / जी0-175 / 2023-24 / धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313 / आई0ए0-813 / 1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम जैसोरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691 / जी0-610 / 2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5120 / जी0-175 / 2023-24 / धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313 / आई0ए0-813 / 1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम शेखापुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691 / जी0-610 / 2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5121 / जी0-175 / 2023-24 / धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313 / आई0ए0-813 / 1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम चैसार में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691 / जी0-610 / 2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5122 / जी0-175 / 2023-24 / धारा-6(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम

सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम सुलताना माफी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5123/जी0-48/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम बेलहरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4733/जी0-48-80/2006 दिनांक 13 फरवरी, 1992 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5124/जी0-157ए/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील देवरिया, जनपद देवरिया के ग्राम सिधावे में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1011/जी0-610/2016-17 दिनांक 16 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5125/जी0-157ए/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील दवरिया, जनपद देवरिया के ग्राम पथरदेवा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1011/जी0-610/2016-17 दिनांक 16 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

09 नवम्बर, 2023 ई0

सं0-5162/जी0-175/2023-24(4)/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम ककरा मोहम्मदपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5163/जी0-175/2023-24(4)/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम सोहरियावाँ में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5164/जी0-163/2023-24(2)/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील-हरदोई, जनपद हरदोई, के ग्राम शाहपुर बिनौरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0-163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5165/जी0-163/2023-24(2)/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई, जनपद हरदोई के ग्राम कुंवरपुर में उपर्युक्त

अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0-163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5166/जी0-28/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिल्सी, जनपद बदायूं के ग्राम अकौली में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3562/जी0-610/11 दिनांक 28 अगस्त, 2012 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5167/जी0-28/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिल्सी, जनपद बदायूं के ग्राम नगला तरऊ में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3562/जी0-610/11 दिनांक 28 अगस्त, 2012 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5168/जी0-155/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सहसवान, जनपद बदायूं के ग्राम मलिकपुर बिचौला पट्टी खंजी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3319/जी0-155-65 दिनांक 04 अगस्त, 1997 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5169/जी0-155/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सहसवान,, जनपद बदायूं के ग्राम मलिकपुर बिचौला पट्टी महाराम में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3319/जी0-155-65 दिनांक 04 अगस्त, 1997 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5170/जी0-175/2023-24(3)/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम डोलकुआँ में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5171/जी0-175/2023-24(3)/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम बंजरिया में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5172/जी0-157ए/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील देवरिया, जनपद देवरिया के ग्राम धर्मागत पट्टी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1011/जी0-610/2016-17 दिनांक 16 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

16 नवम्बर, 2023 ई0

सं0-5215/जी0-610/2016-17—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी

विज्ञप्ति सं0 3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनदेश संख्या-23/1-1-1(5) 1991-टी0सी0रा0-1 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एददद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद मेरठ के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया हैः–

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	मवाना	अस्तिनापुर	भगवानपुर	4क(2)द्वितीय चक्र

17 नवम्बर, 2023 ई0

सं0-5244/जी0-214/65-15– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0 ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ के ग्राम रहीमनगर पड़ियाना में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या- 3427/जी0-214/ 65-06 दिनांक 15 सितम्बर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

जी0 एस नवीन कुमार,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जनवरी, 2024 ई० (पौष 16, 1945 शक संवत्)

भाग 2

आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION]

NOTIFICATION

December 15, 2023

No. 1184/XC-3/Admin.(E-I)/2024/Allahabad–In continuation of Court's Notification no. 810/XC-3/Admin(E-1)Sec./2024 Dated: Allahabad: 21.08.2023, the following list of holidays to be observed in the High Court of Judicature at Allahabad including its Bench at Lucknow during the year 2024 is being published for general information :

List of Holidays to be observed in the High Court of Judicature at Allahabad during the year 2024

Sl. No.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the week	No. of days
1	2	3	4	5
1.	New Year's Day	January 01, 2024	Monday	1
2.	Makar Sankranti	January 15, 2024	Monday	1
3.	Republic Day	January 26, 2024	Friday	1
4.	Basant Panchami	February 14, 2024	Wednesday	1
5.	Mahashivratri	March 08, 2024	Friday	1
6.	Holi Holidays	March 24 to 27, 2024	Sunday to Wednesday	4

1	2	3	4	5
7.	*Id-ul-Fitra	April 11, 2024	Thursday	1
8.	Ambedkar Jayanti	April 14, 2024	Sunday	–
9.	Ram Navami	April 17, 2024	Wednesday	1
10.	Summer Vacation	June 01 to 30, 2024	Saturday to Sunday	30
11.	*Id-ul-Zuha	June 17, 2024	Monday	1
12.	*Moharram	July 17, 2024	Wednesday	1
13.	Independence Day	August 15, 2024	Thursday	1
14.	Raksha Bandhan	August 19, 2024	Monday	1
15.	Janmashtami	August 26, 2024	Monday	1
16.	*Barawafat	September 17, 2024	Tuesday	1
17.	Gandhi Jayanti	October 02, 2024	Wednesday	1
18.	Dashehra Holidays	October 07 to 14, 2024	Monday to Monday	8
19.	Deepawali Holidays	October 29 to November 03, 2024	Tuesday to Sunday	6
20.	Guru Nanak Jayanti & Kartik Purnima	November 15, 2024	Friday	1
21.	Winter Holidays	December 23 to 31, 2024	Monday to Tuesday	9

NOTES :

1. The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the local visibility of the moon. If there is no change, no notification shall be issued.
2. Second Saturday of each month will be a holiday.
3. Friday, February 09, 2024 will be a local holiday on account of Mauni Amavasya only for Allahabad.
4. Friday, March 29, 2024 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.
5. Friday, April 05, 2024 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.
6. Tuesday, May 28, 2024 will be a local holiday on account of Mahavir-Ji-Ka-Mela only for Lucknow Bench of the Court.
7. The Court shall also sit on Saturdays falling on April 27, May 25 and September 21, 2024 both at Allahabad and Lucknow.
8. There is a separate list of holidays for the District Judiciary of Allahabad High Court.

By order of the Court,
Rajeev Bharti, *H.J.S.,*
Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई-1) अनुभाग

विज्ञप्ति

दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

संख्या 1185/XC-3/प्रशासनिक(ई-1)/2024/इलाहाबाद–न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 809/XC-3/प्रशासनिक (ई-1) अनु0/2024, दिनांक : इलाहाबाद 21.08.2023 के क्रम में निम्नलिखित अवकाश सूची जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ सहित वर्ष 2024 में बन्द रहेगा, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ सहित वर्ष 2024 में बन्द रहेगा :–

क्रम संख्या	पर्व/छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी, 2024	सोमवार	1
2	मकर संक्रान्ति	15 जनवरी, 2024	सोमवार	1
3	गणतन्त्र दिवस	26 जनवरी, 2024	शुक्रवार	1
4	बसंत पंचमी	14 फरवरी, 2024	बुधवार	1
5	महाशिवरात्रि	08 मार्च, 2024	शुक्रवार	1
6	होली अवकाश	24 से 27 मार्च, 2024	रविवार से बुधवार	4
7	*ईद-उल-फ़ित्र	11 अप्रैल, 2024	बृहस्पतिवार	1
8	अम्बेदकर जयंती	14 अप्रैल, 2024	रविवार	–
9	राम नवमी	17 अप्रैल, 2024	बुधवार	1
10	ग्रीष्मावकाश	01 से 30 जून, 2024	शनिवार से रविवार	30
11	*ईद–उल–जुहा	17 जून, 2024	सोमवार	1
12	*मोहर्रम	17 जुलाई, 2024	बुधवार	1
13	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2024	बृहस्पतिवार	1
14	रक्षाबंधन	19 अगस्त, 2024	सोमवार	1
15	जन्माष्टमी	26 अगस्त, 2024	सोमवार	1
16	*बारावफात	17 सितम्बर, 2024	मंगलवार	1
17	गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2024	बुधवार	1
18	दशहरा अवकाश	07 से 14 अक्टूबर, 2024	सोमवार से सोमवार	8
19	दीपावली अवकाश	29 अक्टूबर से 03 नवम्बर, 2024	मंगलवार से रविवार	6
20	गुरूनानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा	15 नवम्बर, 2024	शुक्रवार	1
21	शीतकालीन अवकाश	23 से 31 दिसम्बर, 2024	सोमवार से मंगलवार	9

टिप्पणी :–

1– तारांकित (*) तिथियाँ स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं। यदि तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी।

2– प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।

3– शुक्रवार 09 फरवरी, 2024 को मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में केवल इलाहाबाद के लिए स्थानीय अवकाश रहेगा।

4– शुक्रवार 29 मार्च, 2024 को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिए निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

5– शुक्रवार 05 अप्रैल, 2024 को रमज़ान के अन्तिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिए निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

6– मंगलवार 28 मई, 2024 को 'महावीर जी का मेला' के उपलक्ष्य में केवल लखनऊ पीठ के लिए स्थानीय अवकाश रहेगा।

7– 27 अप्रैल, 2024 (शनिवार), 25 मई, 2024 (शनिवार) एवं 21 सितम्बर, 2024 (शनिवार) को इलाहाबाद एवं लखनऊ में न्यायालय का कार्य-दिवस रहेगा।

10– इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालयों के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,
राजीव भारती, उ0न्या0से0,
महानिबन्धक।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION]

NOTIFICATION

December 15, 2023

No. 1186/XC-4/Admin.(E-I)/2024/Allahabad–In continuation of Court's Notification no. 811/XC-4/Admin(E-1)Sec./2024 Dated: Allahabad: 21.08.2023, the following list of holidays to be observed in the District Judiciary of the High Court of Judicature at Allahabad during the year 2024 is being published for general information :

List of Holidays to be observed in the District Judiciary of

Allahabad High Court during the year 2024

Sl. No.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the week	No. of days
1	2	3	4	5
1.	Republic Day	January 26, 2024	Friday	1
2.	Mahashivratri	March 08, 2024	Friday	1
3.	Holi Holidays	March 24 & 25, 2024	Sunday & Monday	2
4.	*Id-ul-Fitra	April 11, 2024	Thursday	1
5.	Ram Navami	April 17, 2024	Wednesday	1
6.	**Summer Vacation	June 01 to 30, 2024	Saturday to Sunday	–
7.	*Id-ul-Zuha	June 17, 2024	Monday	1
8.	*Moharram	July 17, 2024	Wednesday	1
9.	Independence Day	August 15, 2024	Thursday	1
10.	Janmashtami	August 26, 2024	Monday	1

1	2	3	4	5
11.	Gandhi Jayanti	October 02, 2024	Wednesday	1
12.	Dashehra	October 13, 2024	Sunday	–
13.	Deepawali Holidays	November 01 & 02, 2024	Friday & Saturday	2
14.	Christmas Day	December 25, 2024	Wednesday	1
15.	Winter Holidays	December 26 to 31, 2024	Thursday to Tuesday	6

NOTES :

1. The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the local visibility of the moon.
2. Second Saturday of each month will be a holiday.
3. The District Judge shall declare five days local holidays in consultation with the District Magistrate.
4. Friday, March 29, 2024 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.
5. Friday, April 05, 2024 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.
6. **Only Civil Work (except urgent matters) will be suspended during the period of Summer Vacation whereas the work related to criminal cases shall continue as usual.
7. In case any of the National or other holidays mentioned in the Calendar falls on Second Saturday or on a Sunday, it will be up to the District Judge to declare in its place additional days as holidays.
8. There shall not be less than 265 working days in the District Judiciary of Allahabad High Court in a year.
9. Every Fourth Saturday shall be holiday only for Judicial Officers but working day for all purposes for other staff of the District Judiciary of Allahabad High Court.
10. There is a separate list of holidays for the High Court.

By order of the Court,
Rajeev Bharti, *H.J.S.,*
Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई-1) अनुभाग

विज्ञप्ति

दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

संख्या 1187/XC-4/प्रशासनिक(ई-1)अनु0/2024/इलाहाबाद–न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 812/XC-4/प्रशासनिक (ई-1) अनु0/2024, दिनांक : इलाहाबाद 21.08.2023 के क्रम में निम्नलिखित अवकाश सूची जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालय वर्ष 2024 में बन्द रहेगा, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय, के जनपद न्यायालय वर्ष 2024 में बन्द रहेंगे :–

क्रम संख्या	पर्व/छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1.	गणतन्त्र दिवस	26 जनवरी, 2024	शुक्रवार	1
2.	महाशिवरात्रि	08 मार्च, 2024	शुक्रवार	1
3.	होली अवकाश	24 एवं 25 मार्च, 2024	रविवार एवं सोमवार	2
4.	*ईद-उल-फ़ित्र	11 अप्रैल, 2024	बृहस्पतिवार	1
5.	राम नवमी	17 अप्रैल, 2024	बुधवार	1
6.	**ग्रीष्मावकाश	01 से 30 जून, 2024	शनिवार से रविवार	—
7.	*ईद-उल-जुहा	17 जून, 2024	सोमवार	1
8.	*मोहर्रम	17 जुलाई, 2024	बुधवार	1
9.	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2024	बृहस्पतिवार	1
10.	जन्माष्टमी	26 अगस्त, 2024	सोमवार	1
11.	गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2024	बुधवार	1
12.	दशहरा	13 अक्टूबर, 2024	रविवार	—
13.	दीपावली अवकाश	01 एवं 02 नवम्बर, 2024	शुक्रवार एवं शनिवार	2
14.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2024	बुधवार	1
15.	शीतकालीन अवकाश	26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2024	बृहस्पतिवार से मंगलवार	6

टिप्पणी :—

1—तारांकित (*) तिथियाँ स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं।

2—प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।

3—जनपद न्यायाधीश पाँच दिन का स्थानीय अवकाश जिला मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श करके निश्चित एवं घोषित करेंगे।

4—शुक्रवार 29 मार्च, 2024 को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिए निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

5—शुक्रवार 05 अप्रैल, 2024 को रमज़ान के अन्तिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिए निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

6—**ग्रीष्मावकाश की अवधि में केवल सिविल कार्य (अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर) स्थगित रहेंगे, जबकि आपराधिक मामलों की सुनवाई यथावत् जारी रहेगी।

7— यदि कैलेण्डर में वर्णित कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पढ़ता है, तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश के रूप में घोषित कर सकते हैं।

8—उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के जनपद न्यायालयों में कार्य-दिवस एक वर्ष में 265 दिन से कम नहीं रहेगा।

9—प्रत्येक मास के चतुर्थ शनिवार को केवल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवकाश रहेगा परन्तु अन्य कर्मचारियों के लिए कार्य दिवस रहेगा।

10— उच्च न्यायालय के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,
राजीव भारती, उ0न्या0से0,
महानिबन्धक।

पी0एस0यू0पी0—41 हिन्दी गजट—भाग 2—2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जनवरी, 2024 ई० (पौष 16, 1946 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत

कार्यालय आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी

विज्ञप्ति

02 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 1360/23-एल0बी0ए0-5(2017-18)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत झाँसी ने ग्राम्य क्षेत्र, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औधोगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उददेश्य से निम्न उपविधियां बनायी है–

1– अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2– ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3– विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4– मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलैक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5– निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6– भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में टंकी, मशीन रूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7– छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8– ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9– निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10– तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11– फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12– भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13– ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्राविधान हो।

14– ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15– प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(अ) अभियंता-अभियंता, जिला पंचायत

(ब) अवर अभियंता– इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेषित (Designated) किया गया हो।

16– कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17– अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18– स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19– रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20– सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21– अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत झाँसी से है।

22– जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत झाँसी से है।

23– अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, झाँसी से है।

24– बहु मंजिली भवन (Multy Story) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25– मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26– भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बराण्डा, बालकनी, कॉर्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते है, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27– आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28– व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पैट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29 संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30– भवन गतिविधि भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31– पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चाहरदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत झाँसी के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1–उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोशन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिटटी खोदने या मिटटी से गडड़ा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खंड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खंड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3– बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्नि-अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाल्ली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खंड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि

(अ) प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धर्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकि अनुदेश (Technical Intructions)

1–(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(ध) बेसंमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेंसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ड) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खंड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खंड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकर 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ऐ0सी0 कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकर 1.80 मीटर एंवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ड़) संयुक्त संडास (Toilet) का आकर 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खंड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5– स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6– बेसमेट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ड़) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खंड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (।)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1	(i) आवासीय भवन भू-खंड 500 वर्गमीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) (i) आवासीय भवन भू-खंड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसयिक भवन				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केंद्र, शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स,	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	15	6
7	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट बेक (Set Back)

क्रमांक	भू-खंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Rear) मीटर	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	,,	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	,,	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	,,	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	,,	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	,,	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	,,	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	,,	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	,,	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	**भवन/भू-खंड**	**पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)**
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

(i)– तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा- संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन मैं अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्राविधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्राविधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii)– अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii)– अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(iv)– घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्राविधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v)– उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi)– उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैंन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलैक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

क– मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

ख– जनरेटर केवल 'साइलैंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

ग– यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

घ– जहाँ अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ड़– सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आश्य का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार कि क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

च– इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स, रेडियों विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छ– अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (I) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

ज– शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड़) नक्शे स्वीकृति की दरें

क– आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन

सूची (I) के अनुसार जनपदों में– सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 25 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख– व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (I) के अनुसार जनपदों में– सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 100 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 50 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग–(i) भूमि की प्लाटिंग– भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बाँटना।

(ii) भूमि विकास– भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपभोग– भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग– (i) से (iv) तक, सूची (i) के अनुसार जनपदों में रु0 20 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 10 प्रति वर्ग मीटर होगी।

घ– पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

ड़– स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

च– बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

छ– यदि स्वीकृती के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

ज– उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग मैं जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

झ– सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20 प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में रु0 10 प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

ण– सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें रु0 10 प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में रु0 5 प्रति मीटर होगी।

नोट– (शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1– स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय मे जमा किये जायेंगे। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतीकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2– ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3– कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4– कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5– अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6– अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7– अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8– अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नकशें के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9– जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकि जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकि प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10– अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकि दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकि आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकि आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11– अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लियें एक माह का समय दिया जायेगा।

12– आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शें की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13– उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14– यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया. जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद– उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होनें के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकर्ण की प्राप्ती के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1– भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2– भू-खंड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3– भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4– निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5– उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6– उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7– मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8– इन उपतिधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9– इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुजा की शर्ते

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

क– अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह, अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

ख– पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

ग–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत झाँसी यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

डा0 आदर्श सिंह,
आयुक्त
झांसी मण्डल, झांसी।

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 3–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जनवरी, 2024 ई० (पौष 16, 1945 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 12 जुलाई, 2023 ई0 / आषाढ़ 21, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/मेरठ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 47-मेरठ (कैंट) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 47-मेरठ (कैंट) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दीपक सिरोही जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 47-मेरठ (कैंट) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दीपक सिरोही को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री दीपक सिरोही को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा अपने दिनांक 21 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 156/29-1490 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 07 जून, 2023 के पत्र संख्या 445/29-1490 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दीपक सिरोही ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दीपक सिरोही निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 47-मेरठ (कैंट) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दीपक सिरोही निवासी ज्वालापुरी, आर0के0 पुरम, मेरठ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *12th July, 2023* / *21st Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Meerut/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 47-Meerut (Cantt) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 47-Meerut (Cantt) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 08th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Meerut, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Deepak Sirohi, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 47-Meerut (Cantt) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Meerut, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Deepak Sirohi for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Shri Deepak Sirohi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 16th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Meerut, *vide* its letter no. 156/29-1490 dated 21st February, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Meerut in his Supplementary Report, *vide* its letter 445/29-1490 dated 07th June, 2023 has reported that Shri Deepak Sirohi has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Deepak Sirohi has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Deepak Sirohi resident of Jawalapuri, R. K. Puram, Meerut, a contesting candidate from 47-Meerut (Cantt) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 12 जुलाई, 2023 ई0 / आषाढ़ 21, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/कौशाम्बी/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 251-सिराथू विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-86/61-2022 दिनांक 01 फरवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 251-सिराथू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विजय कुमार, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 251-सिराथू से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विजय कुमार को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री विजय कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कौशाम्बी द्वारा अपने दिनांक 06 जून, 2023 के पत्र संख्या 117/निर्वाचन-29 (वि0स0सा0नि0-2022) व्यय-लेखा के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कौशाम्बी द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के पत्र संख्या 83/निर्वाचन-29 (वि0स0सा0नि0-2022) व्यय-लेखा के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विजय कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विजय कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 251-सिराथू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विजय कुमार, ग्राम व पोस्ट-तुलसीपुर, सिराथू, कौशाम्बी को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *12th July, 2023* / *21st Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kaushambi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 251-Sirathu Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced vide Notification No. 86/61-2022 dated 1st February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 251-Sirathu Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Kaushambi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Vijay Kumar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 251-Sirathu Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Kaushambi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 19th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Vijay Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 18th November, 2022, Shri Vijay Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 29th November, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kaushambi, *vide* its letter no. 117 / निर्वाचन-29(वि0स0सा0नि0-2022) व्यय-लेखा, dated 6th June, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kaushambi in his Supplementary Report, *vide* its letter 83 / निर्वाचन-29(वि0स0सा0नि0-2022) व्यय-लेखा dated 18th April, 2023 has reported that Shri Vijay Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Vijay Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure, and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Vijay Kumar resident of 555K/183, Kanousi Manak Nagar, Lucknow, Pin-226011 a contesting candidate from 251-Sirathu Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 14 जुलाई, 2023 ई0
आषाढ़ 23, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/सोनभद्र/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 09 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री हृदय कुमार जो उत्तर

प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री हृदय कुमार को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री हृदय कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपने दिनांक 30 जून, 2023 के पत्र संख्या 319/29-निर्वाचन-2023 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 30 जून, 2023 के पत्र संख्या 319/29-निर्वाचन-2023 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री हृदय कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री हृदय कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री हृदय कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट महुली, थाना-विण्ढ़मगंज, तहसील-दुद्धी, सोनभद्र को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *14th July, 2023* / *23rd Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Sonbhadra/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 403-Duddhi (ST) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 99/61-2022 dated 10th February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 403-Duddhi (ST) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 09th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Sonbhadra, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Hriday Kumar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 403-Duddhi (ST) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Sonbhadra, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Hriday Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Shri Hriday Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 26th December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sonbhadra, *vide* its letter no. 319/29-निर्वाचन-2023 dated 30th June, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Sonbhadra in his Supplementary Report, *vide* its letter 319/29-निर्वाचन-2023 dated 30th June, 2023 has reported that Shri Hriday Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Hriday Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Hriday Kumar resident of Village & Post-Mahuli, Thana-Wyndhamganj, Tehsil-Duddhi, Sonbhadra a contesting candidate from 403-Duddhi (ST) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 14 जुलाई, 2023 ई0
आषाढ़ 23, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/सोनभद्र/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 402-ओबरा (अ0ज0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 402-ओबरा (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 09 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री उमाशंकर खरवार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 402-ओबरा (अ0ज0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री उमाशंकर खरवार को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री उमाशंकर खरवार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपने दिनांक 30 जून, 2023 के पत्र संख्या 319/29-निर्वाचन-2023 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 30 जून, 2023 के पत्र संख्या 319/29-निर्वाचन-2023 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री उमाशंकर खरवार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उमाशंकर खरवार निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 402-ओबरा (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री उमाशंकर खरवार निवासी ग्राम- खरहरा, पोस्ट- खरहरा, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *14th July, 2023* / *23rd Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Sonbhadra/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 402-Obra (ST) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 99/61-2022 dated 10th February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 402-Obra (ST) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 09th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Sonbhadra, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Umashankar Kharwar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 402-Obra (ST) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Sonbhadra, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Umashankar Kharwar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Shri Umashankar Kharwar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 24th December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sonbhadra, *vide* its letter no. 319/29-निर्वाचन-2023 dated 30th June, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Sonbhadra in his Supplementary Report, *vide* its letter 319/29-निर्वाचन-2023 dated 30th June, 2023 has reported that Shri Umashankar Kharwar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Umashankar Kharwar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Umashankar Kharwar resident of Village-Kharahara, Post-Kharahara, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra a contesting candidate from 402-Obra (ST) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–708 निर्वाचन–06.01.2024–100 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जनवरी, 2024 ई० (पौष 16, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(भूमि अर्जन अनुभाग)

अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966)

की धारा-32(1) के अधीन

अधिसूचना

24 नवम्बर, 2023 ई0

अधिसूचना सं0 1018/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (अधिनियम सं0-1 सन् 1966) धारा-32(1) के अन्तर्गत एतद्वारा यह विज्ञप्ति किया जाता है कि उ0प्र0 राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिनियम की धारा-31(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयाग करते हुये ''गोण्डा-फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योगना, गोण्डा'' योजना का क्षेत्रफल 5.5840 हेक्टेयर भूमि जो उक्त अधिनियम की धारा-28 के अधीन उ0प्र0 गजट दिनांक 14 अक्टूबर, 2017 के भाग-8 के पृष्ठ सं0-330 पर हुआ था और उक्त योजना हेतु परिषद् अधिनियम की धारा-31(1) की स्वीकृति मा0 परिषद् की 261वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2023 के मद सं0-261/3 पर प्रदान की गयी थीं उक्त योजना में समाविष्ट ग्राम-पूरे शिवा बख्तावर परगना, तहसील व जिला-गोण्डा का उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश सं0-1976/आठ-2-2302एच0बी0/2023/आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 में इंगित प्रतिबंधों के अधीन योजना का नाम गोण्डा-फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोण्डा परिषद् अधिनियम 1965 की धारा-31(2) की स्वीकृति प्रदान करते हुये दी गयी है एवं योजना का नाम गोण्डा-अयोध्या मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोण्डा के रूप में परिष्कृत कर दिया गया है।

उक्त योजनान्तर्गत ग्राम-पूरे शिवा बख्तावर परगना, तहसील व जिला-गोण्डा की अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	खसरा सं0	कुल क्षे0	धारा-28 में क्षे0	धारा-28 में शामिल ग्राम-समाज की भूमि	कब्जा प्राप्त भूमि का विवरण			नियोजन समिति द्वारा आबादी/निर्माण/ अतिक्रमण के रूप में समायोजित क्षे0	कुल क्षे0 हे0 में (8+9)	अवशेष रकबा हे0 में (4-10)
					पुर्नग्रहण से प्राप्त क्षे0	रजिस्ट्री से प्राप्त क्षे0	कुल कब्जा प्राप्त क्षे0 (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(हे0 में)	(हे0 में)					(हे0 में)		
1	520	0.9140	0.9140	—	—	0.9140	0.9140	0.0000	0.9140	—
2	521	0.0770	0.0770	—	—	—	—	0.0000	0.0000	0.0770
3	522	1.7400	1.7400	—	—	1.7400	1.7400	0.0000	1.7400	—
4	546	0.2100	0.2100	—	—	0.2100	0.2100	0.0000	0.2100	—
5	547 (मि0)	0.0160	0.0050	0.0050	0.0050	—	0.0050	0.0000	0.0050	—
6	548	0.2750	0.2750	—	—	0.2750	0.2750	0.0000	0.2750	—
7	549	2.2130	2.2130	—	—	2.2130	2.2130	0.0000	2.2130	—
8	593 (मि0)	0.2950	0.1500	0.1500	0.0320	—	0.0320	0.1180	0.1500	—
कुल योग ...		**5.7400**	**5.5840**	**0.1550**	**0.0370**	**5.3520**	**5.3890**	**0.1180**	**5.5070**	**0.0770**

रणवीर प्रसाद,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD

[LAND ACQUISITION SECTION]

NOTIFICATION

November 24, 2023

No. 1018/L.A.C./H.Q.–Under section 32(1) of the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Act) Adhiniyam, 1965 (U.P. Act No. 01 of 1966) (As Amendment by U.P. Act No. 7 of 2010), it is hereby announced that in execise of the powers conferred by section 31(2) of the said Act for the scheme

"Gonda-Faizabad Marg Bhumi Vikas Evam Grehsthan Yojna, Gonda" which was published for the first time on page number 330 and part-8 of U.P. Gazette dated 14-10-2017 under section 28 of the said Act for area 5.5840 Hectares, an approval of the Board of Parishad was given in 261th Board Meeting dated 12.07.2023 on item no. 261/3 the Uttar Pradesh Government has granted sanction under section 31(2) of the said Act *vide* letter no. 1976/eight-2-23-02HB/2023/ Housing And Urban Planning Section-2 Lucknow, dated 20.10.2023 subject to the restrictions imposed in the letter and modified the name of the scheme as "Gonda-Ayodhya Marg Bhumi Vikas Evam Grehsthan Yojna, Gonda".

Under the said scheme, the details of the land to be acquired in Village-Pure Shiva Bhaktawar, District-Gonda are as follows:

Sl. No.	Gate No.	Total Area	Proposed Area in Section-28	Included Gram Samaj Land under Section-28	Details of Land in Possession			Populations/ Construction/ Encroachment Area Adjusted by Planning Committee	Total Area in *Hectares* (8+9)	Remaining Area in *Hectares* (4-10)
					Area by Re-clamation	Area by Registry	Total Area in Possession (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Hectares	*Hectares*					*Hectares*		
1	520	0.9140	0.9140	–	–	0.9140	0.9140	0.0000	0.9140	–
2	521	0.0770	0.0770	–	–	-	-	0.0000	0.0000	0.0770
3	522	1.7400	1.7400	–	–	1.7400	1.7400	0.0000	1.7400	–
4	546	0.2100	0.2100	–	–	0.2100	0.2100	0.0000	0.2100	–
5	547 (Minjumla)	0.0160	0.0050	0.0050	0.0050	–	0.0050	0.0000	0.0050	–
6	548	0.2750	0.2750	–	–	0.2750	0.2750	0.0000	0.2750	–
7	549	2.2130	2.2130	–	–	2.2130	2.2130	0.0000	2.2130	–
8	593 (Minjumla)	0.2950	0.1500	0.1500	0.0320	–	0.0320	0.1180	0.1500	–
	Net Total	**5.7400**	**5.5840**	**0.1550**	**0.0370**	**5.3520**	**5.3890**	**0.1180**	**5.5070**	**0.0770**

RANVIR PRASAD,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(भूमि अर्जन अनुभाग)

अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966)

की धारा-28 के अधीन

नोटिस

07 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 1068/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा वाराणसी नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु ''जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान पूरक योजना, वाराणसी'' प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत समाहित ग्राम की सीमाएं निम्न प्रकार हैं–

उत्तर –खसरा संख्या-389 ग्राम-मीरापुर, परगना-देहात अमानत तहसील-सदर, जिला-वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत), खसरा संख्या-63, 62, 64 ग्राम-रामपुर, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत)।

पूरब – खसरा संख्या-65, 66, 67 ग्राम-रामपुर, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत)। खसरा संख्या-30 ग्राम-निबिया, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी।

खसरा संख्या-19, 27, 26, 28, 89, 69, 70 ग्राम-निबिया, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत)।

दक्षिण– जी0टी0 रोड बाई पास (खसरा संख्या-93 ग्राम-निबिया, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी)।

पश्चिम– खसरा संख्या-55, 47, 38, 07, 10, 09 ग्राम-निबिया, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी।

खसरा संख्या-453, 450, 446, 445, 444 ग्राम-मीरापुर, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला- वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत)।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 से अपराहन 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अुनभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

रणवीर प्रसाद,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD

[LAND ACQUISITION SECTION]

NOTICE

Notice under section 28 of the U.P. Avas EvamVikas Parishad,
Adhiniyam, 1965 (U.P.Ad. No. 1, 1966)

December 07, 2023

No. 1068/L.A.C./H.Q.–The U.P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan purak Yojana, Varanasi", to solve the housing problem of the Varanasi City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:-

North– Khasra Number-389 Village-Meerapur, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. (Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

Khasra Number- 63, 62, 64 Village-Rampur, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

(Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

East– Khasra Number-65, 66, 67 Village-Rampur, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

(Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

Khasra No. -30 Village-Nibia, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

Khasra No.-19, 27, 26, 28, 89, 69, 70 Village- Nibia, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.(Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

South– GT Road By Pass (Khasra No. 93 Village- Nibia, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.)

West– Khasra No.- 55, 47, 38, 07, 10, 09 Village-Nibia, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

Khasra No.-453, 450, 446, 445, 444Village-Meerapur, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.(Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

The details of the Land, falling under the scheme and maps can be seen in the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division-Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land Owner will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of the Executive Engineer, Construction Division- Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no objections shall be considered. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the land/building/Villages Name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

RANVIR PRASAD,
Housing Commissioner.

कार्यालय नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर

13 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 210/न0पं0दो0/नियमावली/अधि0/2023-24—इस कार्यालय के पत्र सं0 168 न0पं0दो0/नियमावली/अधि0/2023-24 दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128(1) व 126(10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर ने बोर्ड की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2023 एवं 29 सितम्बर, 2023 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश सं0-408/नौ-10-63ज/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश सं0-135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर पंचायत दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अंतर्गत गृहकर निर्धारण किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा **सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली-2023** बनायी गयी है उक्त उपविधि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर के कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत दोस्तपुर द्वारा बोर्ड दिनांक 29 सितम्बर, 2023 प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमृत विचार दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर अपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किया गया निर्धारित समावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2023 के प्रस्ताव संख्या 06 (च) के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली-2023

1— यह नियमावली नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली-2023 कही जायेगी।

2— यह नियमावली नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर की सीमा में लागू होगी।

3— यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात शासनादेश संख्या 1688/नौ-9-2021 85ज/05टी0सी0 दिनांक 19 अगस्त, 2021 के अनुसार लागू होगी।

4— ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत दोस्तपुर, सुलतानपुर से है।

5— ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत दोस्तपुर, सुलतानपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

6— ''अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

7— ''प्रशासक/बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर के प्रशासक से है।

8— ''अधिनियम'' से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

9— ''शासनादेश'' का तात्पर्य उ0प्र0 शासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10— कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर की सीमा में भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेगें। इसके लिए नगर पंचायत दोस्तपुर, सुलतानपुर से एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11— आवेदन-पत्र नगर पंचायत दोस्तपुर, सुलतानपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12— जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नही अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत दोस्तपुर, सुलतानपुर द्वारा की जायेगी।

13– भवन–इसमें वह सभी अहाते, उपघर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14– ''सम्पत्ति'' का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15– ''आच्छादित क्षेत्रफल'' का तात्पर्य, कुर्सी के उपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16– कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी–

(क) कमरे –आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ख) आच्छादित बरामदा –आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ग) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह –आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।

(घ) गैराज –आन्तरिक आयाम की 1/4 माप।

(ड) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिकों और जीने से आच्छादित क्षेत्र –कारपेट एरिया का भाग नही होगा।

अथवा

कारपेट एरिया – आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग।

17– कर का निर्धारण-कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा।

(क) वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया x निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत x निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12

18– (क) करों का भुगतान–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत दोस्तपुर कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान का सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली में दी गयी शास्ति तथाउ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173 (क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख) यह है कि नगर पंचायत की ओर से अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक जैसे भी परिस्थिति हो के नगर पालिका अधिनियम की धारा 158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे में नगर पंचायत यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरूपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नही है, तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संसोधित करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

19– किराये पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोड़ें।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25 प्रतिशत

(ख) दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत समझा जायेगा।

नोट–नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140(2) में यह प्रावधान है कि जहॉ नगर पंचायत किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों मे किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहॉ नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

20– व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य-सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटा चक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, शीतगृह, रिजोर्ट, होटल व बेवसाइट व ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

21– औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य-सेवा/कुटीर उद्योग, औद्योगिक कारखाने, पावरलूम कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी/एल0पी0जी0 व फिलिंग प्लाण्ट/संयंत्र/केन्द्र आदि से है।

22– इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य-राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0, पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हेण्डीकैप चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह, एवं देखभाल केन्द्र, बृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्चतर माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, इन्जिनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई कढ़ाई केन्द्र, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योगकेन्द्र, व्यायामशाला (जिम) सामुदायिक केन्द्र, धर्मिक केन्द्र, बारात घर, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट-जो भी सामाजिक, धर्मिक राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क जनहित में कार्य कर रही है वे कर से मुक्त रहेगी परन्तु जिस धर्म/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

23– रेन्ट कन्ट्रोल के मकान-रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत दोस्तपुर, सुलतानपुर प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अंतर्गत नही होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

24– जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को गृहकर का भुगतान करना होगा।

25– करों में छूट–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 140(2) के अनुसार करों में छूट प्रदान की जायेगी।

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य संबंधित वर्ष का कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सम्बन्धित वर्ष में कर जमा नही करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर पर 12 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

26– संबंधित संसूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय मे भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भू-खण्ड पर क्रमशः रु0 100/500/1000/2000 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा, तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

27– भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुननिर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में बृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) मे ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

28– जिन भवनों/भूमियों को नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र क और ख पर उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र क के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगें।

29– (क) मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी-कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप मे करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची में आवेदन के अनुसार नाम, कर निर्धारण सूची मे अंकित कर दिया जायेगा। मकान/दुकान/प्लाट इत्यादि दर्ज किये जाने हेतु प्रथम बार में रु0 5,000/– प्रति सम्पत्ति देय होगा।

(ख) गृहकर पंजिका में दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारणवश निजी उपयोग में लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका में स्वतः निरस्त/करमुक्त मानी जायेगी।

30– मकानों का **हस्तांतरण/नामान्तरण सम्बन्धी नियम–**

(क) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तांतरित होता है तो स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तांतरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रत्येक वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 500.00 विलम्ब शुल्क भी देय होगा तभी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण को कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ) विक्रय-पत्र/बैनामा/वसीयतनामा/हिबानामा/करारनामा/दान आदिके आधार पर आवेदक नगर पंचायत अभिलेखों मे दर्ज कराना चाहता है तो उसका निम्नलिखित जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी–

रु0 05 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क – रु0 2,500/– ।

रु0 05 लाख से अधिक रु0 10 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क – रु0 5,000/– ।

रु0 10 लाख से अधिक रु0 25 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क – रु0 10,000/– ।

रु0 25 लाख से अधिक रु0 50 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क – रु0 15,000/– ।

रु0 50 लाख से अधिक रु0 1 करोड तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क – रु0 25,000/– ।

रु0 1 करोड से अधिक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क – रु0 50,000 प्रति पीढी देय होगा।

नोट-भवनों, भूमियों, इत्यादि को दर्ज करने हस्तानान्तरण/नामान्तरण करने हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचलित अधिक प्रसार वाले राष्ट्रीय/दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कर 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति का निस्तारण होने के उपरान्त नामान्तरण/हस्तानान्तरण करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी समाचार-पत्र प्रकाशन का खर्च आवेदक से लिया जायेगा।

31– कर निर्धारण दर-गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

32– मुख्य मार्ग का तात्पर्य-मुख्य मार्ग में सभी सडकें आयेंगी जिसकी चौड़ाई 24 फुट से अधिक होगी।

33– अन्य मार्ग का तात्पर्य-मुख्य मार्ग के अंदर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी में जाने वाली सड़क एवं समस्त गलियां अपने भागों में आयेंगी।

34– अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक,नगर पंचायत दोस्तपुर, सुलतानपुर द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रति वर्गफुट।

भवन की प्रकृति	**पक्का भवन (RCC/RB Nr)**			**अन्य पक्का भवन**			**कच्चा भवन**	**भूमि के सम्बन्ध में**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
फर्श की प्रकृति सड़क की लम्बाई	पत्थर/ टायल्स/ मुजाइक	पक्का फर्श	कच्चा	पत्थर/ टायल्स/ मुजाइक	पक्का फर्श	कच्चा	कच्चा	खाली प्लाट
क–(24 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	1.00	0.80	0.40	0.80	0.50	0.30	0.15	0.10
ख–(12 फुट से 24 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.80	0.60	0.30	0.60	0.40	0.20	0.10	0.05
ग–(12 फुट तक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.60	0.40	0.20	0.50	0.30	0.10	0.10	0.05

35– अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत दोस्तपुर, सुलतानपुर में निहित होगा।

36– अन्य व्यावसायिक भवन/मिश्रित भवन जो मुख्य मार्ग पर स्थित न हो कर निर्धारण निर्धारित आवासीय दर का दोगुना दर पर किया जायेगा।

37– (क) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल भू-खण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर की सीमा के अंतर्गत कोई अन्य भवन/भू-खण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नही की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(ख) यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवासित दर लागू होगा।

(ग) व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशो पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किरायें की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) आवासीय सह दुकान की स्थिति में।	आवासीय दर का पांच गुना
2	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है।	आवासीय दर का चार गुना
3	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पाली क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र।	आवासीय दर का तीन गुना
4	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम	आवासीय दर का तीन गुना
5	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन	आवासीय दर का तीन गुना
6	औद्योगिक इकाइयां सरकारी अर्द्धसरकारी एवं सार्वजनिक, उपक्रम कार्यालय	आवासीय दर का तीन गुना
7	क्रीड़ा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर	आवासीय दर का दो गुना
8	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	आवासीय दर का तीन गुना
9	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	आवासीय दर के समान

38– अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

39– सम्बंधित बुकलेट रु0 50 शुल्क जमा कर नगर पंचायत दोस्तपुर कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

40– मूल्य की गणना उप निबन्धक कार्यालय द्वारा निर्धारित दरों से की जायेगी।

41– करों/शुल्कों/जुर्माना निर्धारित समय सीमा पर न जमा करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

अर्थदण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत दोस्तपुर सुलतानपुर निश्चित करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु0 1,000/– एक हजार जुर्मानाहो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता है, रु0 25/–पच्चीस रुपये मात्र प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

शकुन्तला देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत दोस्तपुर,
सुलतानपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत पाली, ललितपुर

भवन नामांतरण/भवन निर्माण नक्शा नियमावली

16 अगस्त, 2023 ई0

सं0 533/मु0कार्या0(2023-24)–नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये धारा के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) के खंड 13(बी) अर्थात 128 (1) (13बी) 128 (ए) धारा 131 की उपधारा (1) (2) एवं धारा 128 (2) की उपधारा (छः) एवं धारा 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 के अन्तर्गत नगर पंचायत पाली ललितपुर द्वारा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण मूल्य लेखों पर एवं भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु उपनियम बनाता है। भवन नामांतरण/भवन निर्माण नक्शा/नियमावली 2023, उपविधि नगर पंचायत पाली ललितपुर द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत भवन नामांतरण/भवन निर्माण नक्शा नियमावली, 2023, उपविधि नियमावली 2023, प्रस्तावित करते हुए, उपरोक्त नियमावली की धारा 300, 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पठित धारा के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तत्क्रम में नगर पंचायत पाली, ललितपुर बोर्ड दिनांक 30 जून, 2023 को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव सं0 230 स्वीकृत किया गया है, तत्क्रम में दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण सामाचार-पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2023 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

नियमावली

1–संक्षिप्त नाम तथा परिभाषा–

(क) यह नियमावली नगर पंचायत पाली, जनपद-ललितपुर की सीमान्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने पर कर निर्धारण एवं मानचित्र नियमावली कहलायेगी ।

(ख) यह उस दिनांक से लागू समझी जायेगी जब से नगर पंचायत पाली की सीमा के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण लेखों एवं मानचित्र पर कर लगाया जायेगा।

(ग) यह नगर पंचायत पाली की सीमा अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सभी लेखों एवं मानचित्र पर प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) **"अधिनियम"** का तात्पर्य सं0 प्रा0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(2) की उपधारा (छः) एवं धारा 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 से है।

(ख) **"नगर"** का तात्पर्य नगर पंचायत पाली से है।

(ग) **"शुल्क"** का तात्पर्य इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2,1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख एवं मानचित्र पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) **"इंडियन स्टाम्प एक्ट"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रबृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, 1899) से है।

(च) **"पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत पाली से है।

(छ) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य नगर पंचायत पाली के अधिशासी अधिकारी से है।

(ज) **"कर"** का तात्पर्य सं0 प्रा0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127 ए (1) के (13बी), धारा 128(2) की उपधारा (छः) एवं धारा 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 के अन्तर्गत लगाये गये कर से है।

(झ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत पाली के चेयरमैन से है।

(ड) बोर्ड का ताप्पर्य नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष व सदस्यगण से है।

3–नगर पंचायत पाली की सीमा के अन्दर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी भी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4–नगर पालिका अधिनियम, 1916 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दाखिल खारिज उपविधियां निम्नवत नामांतरण की कार्यवाही निम्नलिखित आधारों पर की जायेगी–

(अ) रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर, ब0 मृत्यु के आधार पर, स0 रजिस्टर्ड बसीयत के आधार पर,

(द) मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर, य0 आपसी समझौते/रजि0 दान पत्र/अन्य आधार पर,

(र) अन्य हस्तान्तरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर।

नामांतरण की कार्यवाही आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर किये जायेंगे।	**नामांतरण की कार्यवाही पर आवेदक पर निर्धारित शुल्क जमा कराने की अपेक्षा की जायेगी।**
1	2
अ–रजिस्टर्ड विक्रय -पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु 1–रजिस्टर्ड विक्रय -पत्र की छायाप्रति। 2–नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित क्रेता व विक्रेता की ओर से।	1–शून्य से रु0 50 हजार तक की मालियत पर - शून्य 2–रु0 51 हजार से रु0 1.50 लाख तक - रु0 500.00 3–रु0 1.51 लाख से रु0 5.00 लाख तक - रु0 1,000.00 4–रु0 5.00 लाख से ऊपर रु0 10.00 लाख तक - रु0 5,000.00 5–रु0 10.00 लाख से ऊपर - रु0 10,000.00 **नोट-** रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर नामांतरण हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बिलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के निष्पादन की तिथि से रु0 25.00 प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा ।
ब–मृत्यु के आधार पर पर नामांतरण हेतु 1–मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। 2–तहसीलदार द्वारा जारी वारसान प्रमाण की छायाप्रति। 3–वारसान प्रमाण-पत्र में अंकित वारिसों में से जिन वारिस/वारिसों के नाम अंकित न होने हों उनकी ओर से नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित। 4–आवेदक की ओर से नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित।	मृत्यु के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 200.00 मात्र शुल्क नियत किया गया। **नोट-** मृत्यु की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बिलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

1	2
स–रजि0 वसीयत के आधार पर पर नामांतरण हेतु 1–रजि0 वसीयतनामा की छाया प्रति। 2–मुत्यु प्रमाण-पत्र की छाया प्रति। 3–नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित।	रजिस्ट्रर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 1,000.00 मात्र शुल्क नियत किया गया। **नोट**-वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बिलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
द–मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण हेतु 1–मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति। दावा, वाद पत्र, डिक्री सहित। 2–नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित।	म0 न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 500.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया। **नोट**- मा0 न्यायालय के आदेश की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बिलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
य–आपसी समझौते/रजि0 दान-पत्र/अन्य आधार पर नामांतरण हेतु 1–आपसी समझौते/अन्य आधार पर नामांतरण हेतु दस्तावेज। **नोट**-इस आधार पर नामांतरण हेतु मा0 सदन स्वीकृति लेना आवश्यक है। 2–नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित। 3–दान-पत्र की स्थिति में रजिस्टर्ड दान-पत्र व नोटरी शपथ-पत्र।	आपसी समझौता/रजिस्ट्रर्ड दानपत्र/अन्य आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 2,000.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया। **नोट**-दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बिलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्कदेय होगा।
र–अन्य हस्तांरणीय अपंजीकृति विलेख के आधार पर नामांतरण हेतु 1–अन्य अपंजीकृत हस्तांतरणीय विलेख की छाया प्रति। 2–नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित। 3–अपंजीकृत बैनामे के अलावा किसी हस्तांतरण के आधार पर नामांतरण की वांछा करने वाले आवेदक प्रस्तावित भवन/प्लाट की कुल मालियत का दो प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार देय होगा।	अन्य हस्तांतरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 5,000.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया। **नोट**- दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बिलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

5–समस्त प्रकार के नामांतरण के सम्बन्ध मे शुल्क जमा उपरान्त किसी भी दैनिक समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जायेगा। समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में कर निर्धारण सूची में अधिशासी अधिकारी से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संशोधन किया जायेगा तथा आदेश अंकित किया जायेगा। परन्तु यह और कि प्रकाशन की तिथि व आपत्ति का समय निकल जाने के उपरान्त यदि 15 दिवस तक अधिशासी अधिकारी नामांतरण प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करने में विफल रहते है तो वह प्रार्थना-पत्र बोर्ड में विचार हेतु रखा जावेगा और बोर्ड की स्वीकृति अनुसार अधिशासी अधिकारी कार्यवाही करेंगे

6–नगर में संचालित किसी भी दैनिक समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन संबंधित आवेदक द्वारा स्वयं कराकर समाचार-पत्र की दो प्रतियां कार्यालय में जमा करनी होगी। सार्वजनिक सूचना का आलेख नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

7–नियत अवधि के अन्दर किसी मामले में कोई आपत्ति प्राप्त होने की दशा में आपत्तिकर्ता से रु0 500.00 मात्र शुल्क जमा कराया जायेगा, तदोपरान्त अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुये अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।

भवन मानचित्र स्वीकृति संबंधी नियम/शर्तें–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का नियमानुसार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा उपयुक्त पाये जाने पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

1–अनुमति आवेदक/वास्तुकार द्वारा प्रस्तुत किये गये पेजों, दस्तावेजों और ड्राइंग पर दिए गए इनपुट के आधार पर दी जायेगी। आवेदक/वास्तुकार यह पुष्टि करेगा कि उनके द्वारा आनलाईन/आफलाइन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज/चित्र शुद्ध एवं सही हैं।

2–दी गई अनुमति कोई स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करेगी। बाद के चरण में यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज या जानकारी झूठी और मनगढ़ंत आधार पर प्रस्तुत किया गया है तो अनुमति निरस्त कर दी जायेगी/स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3–आवेदक को सम्बंधित सभी विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करनी होगी।

4–मानचित्र अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक वैध होगा।

5–निर्माण शुरू होने से पहले और बाद में निकाय/अधिशासी अधिकारी को जानकारी देनी होगी, निर्माण पूरा होने से पहले नगर पंचायत पाली से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा। बिल्डिंग उपनियम 2008 (यथा संशोधित 2011/2016/2023) के प्रावधान भवन या उसके किसी भी हिस्से पर लागू होंगे।

6–निर्माण शुरू करने से पहले साइट पर 4 फीट X 3 फीट का एक बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर अनुमोदन प्राधिकारी, परमिट संख्या, अनुमोदन तिथि, वैधता तिथि और वास्तुकार का नाम लिखा होगा।

7–संरचना की सुरक्षा और गुणवत्ता की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8–समय-समय पर लागू शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

9–यदि अनुमोदन प्राधिकारी भविष्य में कोई मांग पत्र जारी करता है तो बिना किसी आपत्ति के आवेदक को उसे जमा करना होगा।

10–यदि भविष्य में स्वामित्व के किसी भी बिंदु पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुमति जब्त कर ली जायेगी। आवेदक को आनलाईन/आफलाईन रूप से (बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए) मानचित्र की मंजूरी से भूमि का अधिकार नहीं मिलेगा।

11–यदि आवेदक द्वारा कोई जानकारी छुपाई गई या गलत दी गई तो मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।

12–निर्माण के संबंध में भवन उपविधि में निर्दिष्ट मानक/शर्तें कार्यान्वित होंगी।

13–भवन का उपयोग केवल उसी हेतु किया जायेगा जिसके लिए वह स्वीकृत होगी।

14–भारतीय विद्युत नियमों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और जारी की गई एनओसी पर उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। विभिन्न विभागों का भी पालन किया जायेगा।

15–भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण् या किसी विवाद में नगर पंचायत पाली विधिता बाध्य नही होगी।

16–स्वीकृति भवन मानचित्र मे रिपटा/सड़क के ऊपर छज्जा निर्माण नही किया जायेगा।

17–भवन मानचित्र का रॉ मटैरियल रोड़ साईड पर नही डाला जायेगा।

18–नवनिर्मित भवन में शौचालय एवं जल संचयन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।

19–समस्त नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों/उपविधियों आदि का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की दशा में भवन मानचित्र स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

20–भवन मानचित्र स्वीकृति न होने पर निर्माण कार्य अवैध होगा तथा अतिक्रमण की श्रेणी में आयेगा जिसे नगर पालिका अधिनियम/इस उपनियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

एनजीटी की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा–

1–निर्माण/विध्वंस के समय आवेदक को क्षेत्र और भवन के चारों ओर मचान पर तिरपाल लगाना होगा तथा निर्माण सामग्री विशेषकर रेत का भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी।

2–साइट पर संग्रहीत किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री को सभी प्रकार से पूरी तरह से कवर किया जायेगा।

3–सभी निर्माण सामग्री और मलबा ट्रकों या अन्य वाहनों में ले जाया जायेगा जो पूरी तरह से ढका हुआ होगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण का मलबा या निर्माण सामग्री किसी भी रूप में हवा या वायुमंडल में ना फैले।

4–निर्माण सामग्री और मलबा अपशिष्ट को परिवहन करने की जिम्मेदारी मालिक की होगी।

5–सभी मालिकों/स्वामियों को उचित उपाय करना चाहिए और स्प्रिंकलर ठीक करके इसका सख्ती से पालन करना चाहिए।

6–सभी भवन मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि सी एंड डी अपशिष्ट का परिवहन और निपटान केवल सी एंड डी अपशिष्ट स्थल पर किया जाये और इस संबंध में मालिकों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जायेगा।

7–प्रवेश और निकास बिंदुओं का डिजाइन नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं अन्य शासनादेशों के अधीन होगा।

नोट-आवेदक द्वारा भवन मानचित्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा 30 दिन के अन्दर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना होगा। समय अवधि व्यतीत होने पर बिना किसी कारण विलम्ब के स्वीकृति स्वतः प्रभावी होगी।

भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु शुल्क का निर्धारण

नगर पंचायत सीमा अन्तर्गत आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु रु0 100/- प्रति वर्गमी0 की दर से तथा व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत की दशा में रु0 200/- प्रति वर्गमी0 दर से प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रफल के अनुसार शुल्क देय होगा। अर्धआवासीय/अर्धव्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृति की दशा में उपरोक्त दोनों दरे नियमानुसार प्रभावी होगी। किसी अन्य विभाग से मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु उपरोक्त दरें प्रभावी होगी।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत,
पाली (ललितपुर)।

सूचना

मेरे हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम आर0के0 सिंह दर्ज हो गया है, जबकि वास्तविक नाम रमाकान्त सिंह प्लाट नं0 03 लीलापुर रोड, झूंसी, प्रयागराज है आर0के0 सिंह एवं रमाकन्त सिंह दोनों ही नाम मेरे पिता के है। अतः रमाकान्त सिंह को भविष्य में लिखने पढने व बोलने में सत्य माना जाये। अभिनव सिंह पुत्र रमाकान्त सिंह।

अभिनव सिंह पुत्र रमाकान्त सिंह
नि0 प्लाट नं0 03 लीलापुर रोड,
झूंसी, प्रयागराज

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वैदिक विक्रम यादव पुत्र स्व0 रवि भूषण यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 384356702495 में अच्युत यादव अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को वैदिक विक्रम यादव पुत्र स्व0 रवि भूषण यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अर्चना यादव,
पत्नी स्व0 रवि भूषण यादव,
निवासी–ग्राम तिलसवा,
तहसील–मलिहाबाद, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै0के0के0 इन्फ्राटेक, ए-44 नील गिरी एन्क्लेव अलबतिया रोड, शाहगंज, जिला आगरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री सौरभ शर्मा पुत्र श्री कृष्ण प्रिय शर्मा और श्री कृष्ण प्रिय शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा निवासीगण-ए-44 नील गिरी एन्क्लेव अलबतिया रोड, शाहगंज, जिला आगरा साझेदार थे। श्री कृष्ण प्रिय शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा निवासी-ए-44 नील गिरी एन्क्लेव अलबतिया रोड, शाहगंज, जिला आगरा उक्त फर्म से दिनांक 09 नवम्बर, 2023 को सेवानिवृत्त हो गये है एवं श्री संजय प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी-160ए, बालाजीपुरम, शाहगंज, जिला आगरा दिनांक 09 नवम्बर, 2023 से उक्त फर्म में सम्मिलित हो गये है। वर्तमान में फर्म में श्री सौरभ शर्मा और श्री संजय प्रताप सिंह साझेदार है।

सौरभ शर्मा

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझीदार प्रशान्त कुमार, गीता देवी के द्वारा पार्टनरशीप डीड दिनांक 12 अप्रैल, 2019 के द्वारा फर्म मैसर्स महताब सिंह किसान सेवा केन्द्र, ख्वाजा नगला, बागपता की स्थापना की व उक्त फर्म को उपनिबन्धक फर्म, सोसाइटीज एवं चिट्स मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पंजीकरण संख्या-बीएजी/0003343, दिनांक 03 मई, 2019 में पंजीकृत कराया गया फर्म की रिटायरमेंट कम एडमीशन पार्टनरशीप डीड दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 के द्वारा नवीन साझीदार अंशु चौधरी को फर्म साझेदारी में सम्मिलित किया गया है व श्रीमती गीता देवी के द्वारा आपसी सहमती से फर्म भागेदारी समाप्त कर सेवानिवृत्त हो गयी है। वर्तमान साझीदार-1- श्री प्रशान्त कुमार एवं 2- श्रीमती अशुं चौधरी है।

प्रशांन्त कुमार,
साझीदार

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मै0 श्री वर्धमान प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) इण्डस्ट्रियल स्टेट, फिरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि फर्म में दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को श्री भान किशोर गुप्ता पुत्र स्व0 राधा मोहन जी गुप्ता निवासी-ए-108 गनेश नगर फिरोजाबाद की मृत्यु हो गई है तथा दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को ही श्रीमती बीना गुप्ता पत्नी श्री भानकिशोर गुप्ता जी को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री मोहन किशोर गुप्ता, श्री रोहित गुप्ता, श्री गौरव गुप्ता तथा श्रीमती बीना गुप्ता साझेदार है।

मोहन किशोर गुप्ता,
मै0 श्री वर्धमान प्रोजेक्ट्स (इण्डिया),
इण्डस्ट्रियल स्टेट, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स नरेंद्र देव (रेलवेज), ई-1063 राजेंद्र नगर बरेली रजिस्ट्रेशन संख्या B-11499 दिनांक 16 सितम्बर, 2021 में निम्नलिखित भागीदार थे–

1- श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 नरेंन्द्र देव गुप्ता निवासी ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

2- श्री महेश्वर दयाल पुत्र श्री मोहन लाल निवासी ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

3- श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री सलिल कुमार अग्रवाल निवासी ई–1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

4- कु0 मानसी अग्रवाल पुत्री श्री अजय कुमार अग्रवाल निवासी ई–1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

5- श्री आर्यन अग्रवाल पुत्र श्री अजय कुमार अग्रवाल निवासी ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

श्री महेश्वर दयाल पुत्र श्री मोहन लाल निवासी ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली ने दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को फर्म की भागीदारी स्वेच्छा से त्याग दी है। फर्म का इन पर इनका फर्म पर किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन शेष नहीं है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से फर्म मैसर्स नरेन्द्र देव (रेलवेज) का व्यापार स्थल ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली से बदलकर खसरा संख्या 100/1 उदयपुर खास आई0वी0आर0आई0 रोड बरेली हो गया है।

वर्तमान में फर्म में 4 निम्नलिखित भागीदार हैः–

1-श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 नरेंन्द्र देव गुप्ता निवासी ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

2-श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री सलिल कुमार अग्रवाल निवासी ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

3-कु0 मानसी अग्रवाल पुत्री श्री अजय कुमार अग्रवाल निवासी ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

4-श्री आर्यन अग्रवाल पुत्र श्री अजय कुमार अग्रवाल निवासी ई-1063, राजेन्द्र नगर बरेली।

सभी विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं।

एतद द्वारा ये भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

For M/s. Narendra Dev (Railways),
अजय कुमार अग्रवाल,
(पार्टनर)
मैसर्स नरेन्द्र देव (रेलवेज)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुमेश कुमार वर्मा (SUMESH KUMAR VERMA) पुत्र राम प्रसाद वर्मा है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं पासपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र (AMAY VERMA) के CBSE के हाईस्कूल सह-अंक प्रमाण-पत्र/माइग्रेशन (अनुक्रमांक-23166676/2023) में मेरा नाम सुमेश वर्मा (SUMESH VERMA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। सुमेश कुमार वर्मा (SUMESH KUMAR VERMA) पुत्र राम प्रसाद वर्मा, निवासी-841सी, मसहवा टोला, लक्ष्छीपुर, थाना गोरखनाथ, जनपद-गोरखपुर, उ0प्र0, पिन कोड-273015 है।

सुमेश कुमार वर्मा।

NOTICE

I, Shreyansh Srivastava son of Sri Rakesh Kumar Srivastava, Resident of Flat No. C-510, BCC Greens Apartment, Naubasta Kala, Deva Road, Chinhat, Lucknow. My name is mentioned as Shreyansh in my educational certificates, while my full name is Shreyansh Srivastava, in future I will be known by this name.

SHREYANSH.

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 8–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।